# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

## पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

**राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./109/2025/बाड़मेर**

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| 1. रमजान पुत्र अब्दुल<br>2. मुबारक पुत्र अब्दुल<br>3. मुसा खां पुत्र अब्दुल<br>4. हबीब पुत्र अब्दुल<br>5. करीम खां पुत्र नसीर खां<br>6. रसूल खां पुत्र नसीर खां<br>7. जमाल खां पुत्र नसीर खां, जातियान मोयला मुसलमान, निवासी पांयला कला, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा। | 1. ईशा पुत्र अब्दुल<br>2. हाजी पुत्र अब्दुल<br>3. अली मोहम्मद पुत्र नूरा<br>4. रहमान पुत्र नूरा<br>5. बरगत पुत्र नूरा<br>6. जुलेखां पत्नी सदीक खां<br>7. सतार मोहम्मद पुत्र सदीक खां<br>8. सफी मोहम्मद पुत्र सदीक खां<br>9. अमीरा पुत्र कासिम, जातियान मोयला मुसलमान, निवासी पांयलाकलां, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।<br>10. अंकबरी एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, पांयलाकलां जरिये अध्यक्ष इमाम खान पुत्र सुलेमान खांन, जाति मुसलमान।<br>11. प्रबंधक, दी सेण्ट्रल कॉपरेटिव बैंक शाखा, सिणधरी।<br>12. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिणधरी।<br>13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक, तहसीलदार सिणधरी, जिला बालोतरा। |

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थितिः–**

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित।

## –:निर्णयः–

**दिनांकः– 26.08.2025**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स (वादीगण) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांट्स) की बहस सुनकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आवेदन में रेसज्यूडिकेटा का हवाला देते हुए दर्ज स्तर पर ही विधि विरूद्ध तरीके से खारिज

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कर दी। जबकि रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर लागु भी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स (वादीगण) द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व में वाद संख्या 11/2023 मूसा बनाम ईसा खां पेश किया गया था जो अपीलांट द्वारा पेश ही नहीं किया गया था। उक्त वाद अपीलांट के भाई हाजी द्वारा अपीलांटगण को धोखे में रखकर पेश किया गया था। जिसमें अपीलांट की कोई सहमति नहीं थी। उक्त प्रश्नगत वाद भी दिनांक 29.08.2024 को मेरिट/गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया है। उक्तानुसार अपीलाधीन वाद रेसजुडिकेटा की श्रेणी में नहीं है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण (अपीलांट्स) की बहस सुनकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन आवेदन में रेसज्यूडिकेटा का हवाला देते हुए दर्ज स्तर पर ही विधि विरूद्ध तरीके से खारिज कर दी। जबकि रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण में लागु भी नहीं होता है। रेसज्युडिकेटा के अनुसार अगर किसी प्रकरण में समान पक्षकार, समान विषयवस्तु एवं समान इस्तदुआ के आधार पर कोई प्रकरण किसी न्यायालय में पेश किया जाता है तो वो उक्त विधि से बाधित होगा। जबकि हस्तगत प्रकरण में खसरा सख्या, पक्षकार एवं विषयवस्तु समान नहीं होकर भिन्न–भिन्न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुर्भावनावश धारा 11 सी.पी.सी. रेसजूडिकेटा के विधि के रिहित रीति के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलांट ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये–

1. SUPREME COURT CIVIL APPEAL NO.- 1948 OF 2013, PREM KISHOR VS BRAHM PRAKASH, 29-03-2023.

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपीलाधीन वाद पत्र से पूर्व में इन्ही पक्षकारों एवं समान आराजी के लिए वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है। उक्त निर्णीत वाद के समान पक्षकारों एवं समान आराजी के लिए अपीलांट/वादी द्वारा वाद पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेसज्युडिकेटा सिद्धान्त से बाधित होने पर विधि अनुसार खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः वकील अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान गहनता से अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में रेसज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागु नहीं होता है क्योंकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकार एवं आराजी भिन्न–भिन्न हैं एवं पक्षकारान की इस्तदुआ भी प्रश्नगत वाद से भिन्न होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में न्यायिक मंशा प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सिणधरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण को पुनः दर्ज कर उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

26/8/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर